न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राम सुख गुर्जर **RAS**

राजस्व वाद संख्या 99/2015

वादीया

1. किरण कंवर पत्नी श्री आनन्दसिंह जाति राजपूत उम्र 50 वर्ष निवासी हीराणी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. सालगराम पुत्र तोलुराम
2. भंवरलाल पुत्र सेवाराम जाति कुम्हार निवासी हरितपुरा–खारिया तहसील कुचामनसिटी
3. उप पंजीयक कुचामनसिटी
4. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर

वाद बाबत बटवारा स्थाई निषेधाज्ञा तथा रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 53 88, 188 T.Act 1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर वादी की ओर से।

श्री मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता प्रतिवादी सं.1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 24/5/17

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है वादीया कि ग्राम हरितपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 255 रकबा 0.19 हैक्टर की सहखातेदार एवं काश्तकार है। वादीया ने दिनॉक 09.07.2007 को श्रीमति मेदकंवर बैवा छोगसिंह से खसरा नम्बर 255 रकबा 0.19 हैक्टर में से उनके हिस्से की 1/2 कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान से खरीदकर की गई थी, परन्तु उक्त बेचान में मेदकंवर के स्थान पर गेंदकवंर गलती से लिखा गया था, जिनका शुद्वि पत्र पेशकर गेंदकंवर के स्थान पर मेदकंवर पत्नी श्री छोगसिंह नाम दर्ज करवाया था। उक्त कृषि भूमि नक्शा ट्रेस में खसरा संख्या 236 कट्टाणी रास्ता (आम सड़क) कुचामन से हिराणी–भांवता जाने वाली सड़क के दक्षिण दिशा में खसरा सं. 255 की कृषि भूमि सीमा जोड़ आई हुई है। वादीया ने बेचानकर्ता मेदकंवर से जो हिस्सा खरीद किया गया था, वह खसरा नम्बर 255 की पूर्वी दिशा में जहॉ बेचानकर्ता मेदकंवर अन्य सहखातेदारो के साथ अपनी–अपनी सुविधानुसार काश्त करते थे। उसी अनुसार वादीया को पूर्वी दिशा में स्वयं बेचानकर्ता द्वारा की जा रही काश्त की भूमि का कब्जा सम्भला दिया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादीया की कब्जासुदा कृषि भूमि वर्तमान में बिना किसी फसल के खाली पड़ी पर काश्त करने हेतु वादीया से उसकी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

कब्जा काश्त की भूमि पर प्याज की फसल बोने हेतु मांग की, परन्तु वादीया ने उनको मना कर दिया जिससे नाराज होकर प्रतिवादीगण जबरदस्ती फसल बोने पर आमादा है, जिनको रोका जाना अत्यन्त आवश्यक है कि कृषि भूमि का सीमाकंन द्वारा बंटवारा नही होने के कारण प्रतिवादीगण वादीया को परेशान करने पर आमदा है। वादीया को इन सब की जानकारी हुई तो उन्होने प्रतिवादीगण को इन सब की जानकारी हुई तो उन्होने प्रतिवादीगण को सही नाप–चाक करके बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस कराने बाबत कहा गया तो कुछ दिन का आश्वासन देते रहे एवं कुछ दिन पश्चात मना कर दिया। वादीया की इस्तदुआ है कि एक स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 2 इस आशय की जारी फरमावे कि न तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा न ही उनके प्रतिनिधि वादीया के खसरा नम्बर 255 में स्थित 1/2 हिस्से पर न तो स्वयं काश्त करे एवं न ही किसी अन्य प्रतिनिधियो से काश्त करावें। खसरा नम्बर 255 रकबा 0.19 हैक्टर राजस्व ग्राम हरितपुरा की कृषि भूमि का बंटवारा सीमांकन द्वारा वादीया के हक हिस्सा 1/2, प्रतिवादी संख्या 1 सालगराम 1/4, प्रतिवादी संख्या 2 भंवरलाल 1/4 हिस्सा करके बंटवारा रेकर्ड दुरूस्ती के आदेश प्रदान करवावें। खसरा नम्बर 255 रकबा 0.19 हैक्टर ग्राम हरितपुरा की कृषि भूमि का बेचान या हस्तानान्तरण प्रतिवादी सं. 3 उप पंजीयन पंजियन नही करने हेतु आदेश प्रदान करावे।

वाद वादीया दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 3, 4 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया। शामिल मिसल उपलब्ध है। पत्रावली राजस्व अभियान "न्याय आपके द्वार–2017" कैम्प कोर्ट खारिया में पेश हुई। पक्षकारान वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 के मुख्त्यार आम श्री सोहनलाल उपस्थित,जिन्होने वाद को स्वीकार करते हुए वादीया को 1/2 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 2 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। उपरोक्त वादग्रस्त खसरा नम्बर के बारे में आमजन एवं उपस्थित खातेदारान एवं उनके विधिक प्रतिनिधियो से पूछताछ करने पर पाया कि उपरोक्तानुसार हिस्सा दर्ज किया जावे तो उन्हे कोई आपत्ति नही है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया तथा पक्षकारो को सुना गया। जमाबन्दी सम्वत 2068–2072 ग्राम हरितपुरा पटवार मण्डल हीराणी तहसील कुचामानसिटी के खसरा नम्बर 255 रकबा 0.19 हैक्टर बारानी तृतीय में सालगराम पुत्र तोलूराम जाति कुमावत मगसिंह पुत्र बन्नेसिंह मेदकंवर पत्नी छोगसिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार दर्ज है तथा बेचान नामान्तरकरण संख्या 179 दिनॉक 20.04.2013 के द्वारा मेदकंवर बैवा छोगसिंह के

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

स्थान पर किरणकंवर पत्नी आनन्दसिंह कौम राजपूत सा. हीराणी खातेदार, नामा. सं. 181 दिनॉक 05.06.2013 के द्वारा मगसिंह पुत्र बन्नेसिंह कौम राजपूत सा.देह के स्थान पर किशोर पुत्र कल्याण जाति गूरज सा.काडोलिया चाकसू जिला जयपुर दर्ज, नामा.सं. 182 दिनॉक 5.6.13 के द्वारा किशोर पुत्र कल्याण जाति गूजर सास. काडोलिया चाकसू जिला जयपुर के स्थान पर भंवरलाल पुत्र सेवाराम जाति कुमावत सा.देह दर्ज। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पक्षकारान का हिस्सा खुला हुआ नही है, परन्तु राजस्व कैम्प में इन्होने वादीया को 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया है। अतः वाद वादी काबिल डिक्री योग्य पाये जाने से निम्न प्रकार वाद डिक्री किया जाता है।

आदेश

ग्राम हरितपुरा पटवार मण्डल हिराणी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 255 रकबा 0.19 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय में वादीया किरण कंवर पत्नी आनन्दसिह कौम राजपूत सा. हीराणी को 1/2 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 सालगाराम पुत्र तोलूराम जाति कुमावत सा. हरितपुरा को 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 भंवरलाल पुत्र सेवाराम जाति कुमावत सा. हरितपुरा को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो।

निर्णय आज दिनॉक 24.05.2017 को कैम्प कोर्ट खारिया मे सुनाया गया।

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)
कोर्ट कैम्प खारिया